भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश अधिसूचनाएं और नियम आदि।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचनाएं
25 मई 2009

सं० 1/स्था0–23/2008–1984/09—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल बिहार उत्पाद सेवा में भर्ती की प्रकिया एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

अध्याय–I : प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**– (1) यह नियमावली 'बिहार उत्पाद सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2009' कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

2. **परिभाषा।**– इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ में विरूद्ध न हो,

(i) 'सेवा' से अभिप्रेत है बिहार उत्पाद सेवा;

(ii) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(iii) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;

(iv) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल;

(v) "सदस्य" या "सेवा के सदस्य" से अभिप्रेत है बिहार उत्पाद सेवा में नियुक्त व्यक्ति;

(vi) 'बिहार उत्पाद सेवा' से अभिप्रेत है बिहार उत्पाद सेवा के विभिन्न पद, यथा :–
निरीक्षक उत्पाद,
अधीक्षक उत्पाद/समकक्षीय पद,
सहायक आयुक्त उत्पाद,
उपायुक्त उत्पाद,
संयुक्त आयुक्त उत्पाद,
तथा समय–समय पर इस सेवा में सृजित होनेवाले अन्य पद;

(vii) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस नियमावली से संलग्न अनुसूची;

(viii) वर्ष से अभिप्रेत है वित्तिय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष; तथा

(ix) "वर्ष के दौरान रिक्ति" से अभिप्रेत है एक वर्ष में बिहार उत्पाद सेवा के नए पदों के सृजन या किसी सदस्य की सेवा निवृति या मृत्यु अथवा सेवा से हटाये जाने अथवा पदच्युत किये जाने अथवा त्यागपत्र दिये जाने के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्तियाँ अथवा पूर्व वर्षो की ऐसी रिक्तियाँ जो भरी नहीं जा सकी हो ; तथा

(x) 'विभाग' से अभिप्रेत है, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

3. **सेवा की संरचना।**– यह सेवा निबंधन,उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन होगा जिसके प्रधान सचिव/ सचिव नियंत्री पदाधिकारी होगें। राज्य सरकार, समय–समय पर, सेवा का अधिकृत बल विनिश्चित

कर सकेगी और इस नियमावली की अनुसूची–I में उल्लिखित पूर्व से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त इस सेवा के स्थायी/अस्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दे सकेगी ।

4. **पद स्थिति**।– बिहार उत्पाद सेवा के सदस्य राजपत्रित होंगे ।

अध्याय – II
भर्ती

5. **भर्ती का स्रोत**।– इस सेवा में भर्ती निम्नलिखित रीति से की जायगी :–

(क) इस नियमावली के अध्याय –III के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा ।

(ख) इस नियमावली के अध्याय –IV के अनुसार अवर निरीक्षक उत्पाद से प्रोन्नति के द्वारा।

6. **आरक्षण**।– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति में आरक्षण/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

7. **रिक्तियों का निर्धारण एवं आयोग को संसूचन**।– राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या निर्धारित करेगी तथा सीधी भर्ती हेतु आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की अधियाचना 30 अप्रैल तक आयोग को भेजेगी ।

अध्याय – III
सीधी भर्ती

8. **संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती**।–विभाग से आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की अधियाचना प्राप्त होने पर आयोग विज्ञापन निकाल कर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार उत्पाद सेवा की मूल कोटि में 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करेगा।

9. **पात्रता**।–सेवा में सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों की उम्र, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण आदि राज्य सरकार एवं आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार होगा । न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भारत के अंदर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होगी।

10. **मौखिक/अंतर्वीक्षा परीक्षा**।–आयोग द्वारा संचालित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को मौखिक/अंतर्वीक्षा परीक्षा के लिए आयोग द्वारा गठित बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा । मौखिक/अंतर्वीक्षा परीक्षा के लिए अधिकतम अंको का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा।

11. **चिकित्सा परीक्षा**। –नियुक्ति के लिए चुने गये प्रत्येक अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड के समक्ष चिकित्सा परीक्षा के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। पदीय कर्तव्यों को दक्षता पूर्वक निष्पादित करने की दृष्टि से जो अभ्यर्थी अपनी अपेक्षित शारीरिक योग्यता के संबंध में चिकित्सा बोर्ड को संतुष्ट करने में सफल होगा उसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने पर विचार किया जा सकेगा ।

12. **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा**।– लिखित एवं मौखिक परीक्षा के आधार पर आयोग मेधा सूची तैयार कर अभ्यर्थियों की उतनी संख्या की अनुशंसा राज्य सरकार को करेगा जितनी संख्या में रिक्तियाँ प्रतिवेदित की गई हों। विभाग में अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक ही वैध रहेगा। किसी अभ्यर्थी के योगदान न करने अथवा अपेक्षित अभ्यर्थियों का चयन न होने पर अवशिष्ट रिक्तियाँ अगले वर्ष के लिए अग्रणीत कर दी जायेगी।

अध्याय – IV
प्रोन्नति के द्वारा भर्ती

13. **प्रोन्नति के द्वारा नियुक्ति**।–निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अवर निरीक्षक उत्पाद से मूल कोटि (निरीक्षक, उत्पाद) में 50 प्रतिशत पदों पर आयोग के अध्यक्ष/सदस्य की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे।

14. **सीधी भर्ती एवं अवर निरीक्षक, उत्पाद के पद से प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति का अनुपात**।– इस सेवा की मूल कोटि के पदों पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति का अनुपात 50:50 प्रतिशत रहेगा।

15. **उम्मीदवारों की पात्रता**।–

(1) अवर निरीक्षक उत्पाद के पद पर सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि में संतोषजनक सेवा।

(2) उत्पाद अधीक्षक एवं निरीक्षकों की विभागीय परीक्षा नियमावली के अनुसार वांछित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता।

(3) चारित्रिक अभ्युक्तियों का संतोषजनक होना।

(4) वरीयता।

अध्याय–V

16. **परिवीक्षा अवधि।–**

(1) किसी मौलिक रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त प्रत्येक पदाधिकारी को पदग्रहण की तिथि से दो वर्षो की अवधि तक परिवीक्षा पर रहना होगा। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी।

(2) राज्यपाल परिवीक्षा की अवधि में या उसकी समाप्ति के समय इस सेवा में भर्ती किए गये ऐसे किसी पदाधिकारी की नियुक्ति समाप्त कर सकते हैं या अवर निरीक्षक उत्पाद से प्रोन्नति के आधार पर आये ऐसे किसी पदाधिकारी को उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित कर सकते हैं यदि उक्त पदाधिकारी नियुक्ति संबंधी शर्तो को पूरा नहीं करता हों अथवा वह परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने या अन्य कारणों से इस सेवा में सम्पुष्टि के योग्य नहीं हो।

(3) परिवीक्षा अवधि के बाद वार्षिक वेतनवृद्धि विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही अनुमान्य होगी।

17. **सम्पुष्टि।–**

(1) इस सेवा में नियुक्त पदाधिकारी को परिवीक्षा की अवधि की संतोषजनक समाप्ति होने पर सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा, यदि वह विहित मापदण्ड के अनुसार विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो, विहित प्रशिक्षण उत्तीर्ण हो और राज्य सरकार उसे सम्पुष्टि के योग्य समझें ।

(2) सम्पुष्टि के पूर्व सभी पदाधिकारी को उत्पाद–अधीक्षकों एवं निरीक्षकों की विभागीय परीक्षा नियमावली के प्रावधानानुसार राजस्व पर्षद द्वारा संचालित लिखित एवं मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

18. **वेतन।–** बिहार उत्पाद सेवा के विभिन्न पदों के वेतनमान निम्न प्रकार होगा तबतक होगा जबतक राज्य सरकार द्वारा इसमें संशोधन या परिवर्तन नहीं कर दिया जाय। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर वेतन का निर्धारण कर सकती है या प्रतिस्थानी वेतनमान की घोषणा कर सकती है।

संवर्गीय पदों की संरचना, वेतनमान एवं गणना

क्र0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1.	निरीक्षक, उत्पाद (मूल कोटि)	5000–8000	81
2.	अधीक्षक उत्पाद/समकक्षीय पद	6500–10500	41
3.	सहायक आयुक्त, उत्पाद	8000–13500	5
4.	उपायुक्त, उत्पाद	12000–16500	5
5	संयुक्त आयुक्त, उत्पाद	14300–18300	1

19. **प्रशिक्षण।–**

(1) सेवा के पदाधिकारियों को सरकार द्वारा कार्यपालक आदेश से निर्धारित विषयों पर निर्धारित समय के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा जिसमें व्यावहारिक प्रशिक्षण भी शामिल रहेगा। इसके अतिरिक्ति पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र से घुड़सवारी तथा अन्य परीक्षा भी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(2) प्रशिक्षण की समाप्ति पर किए गये मूल्यांकन को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा विचारण हेतु उपस्थापित किया जायगा।

(3) सेवा के पदाधिकारियों को उच्चतर पद पर प्रोन्नति दिये जाने के बाद सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए पुनर्प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

अध्याय – VI
प्रोन्नति

20. (1) सेवा की मूल कोटि से भिन्न सभी पद विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरे जायेगें। सेवा का मूल पद निरीक्षक, उत्पाद होगा । सेवा के अधिकतम वेतनमान में प्रोन्नति हेतु गठित विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष आयोग के अध्यक्ष/सदस्य होंगे।

(2) निरीक्षक उत्पाद के पद पर मूल कोटि के ऐसे पदाधिकारियों को प्रोन्नति दी जा सकेगी जिनकी सेवा सम्पुष्ट हो तथा सेवा अभिलेख अनुकूल रहा हो।

(3) प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम कालावधि को पूरा किया जाना आवश्यक होगा।

(4) सेवा के पद सोपान का अगला पद अधीक्षक, उत्पाद/समकक्षीय पद होगा। इसके आगे का पद क्रमशः सहायक आयुक्त, उत्पाद, उपायुक्त, उत्पाद एवं संयुक्त आयुक्त, उत्पाद होगा।

(5) प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण नीति/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।
(6) प्रोन्नति का आधार वरीयता सह योग्यता होगा।

अध्याय– VII
अन्य सेवा शर्तें

21. इस सेवा के लिए अन्य सेवा शर्तें यथा– अनुशासनिक कार्रवाई, छुट्टी, देय सेवानिवृति लाभ, सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना इत्यादि जो इस नियमावली से आच्छादित नहीं हैं या जो इस सेवा के लिए पृथक रूप से अधिसूचित नहीं है; बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005, बिहार सेवा संहिता, राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, निर्गत अन्य सुसंगत नियमावलियों, आदेशों तथा परिपत्रों आदि द्वारा नियंत्रित होंगी।

22. राज्य सरकार को इस नियमावली में विहित प्रावधानों को यथा अपेक्षित संशोधित करने का अधिकार होगा । प्रशासी विभाग इस नियमावली के प्रावधानों को कार्यरूप देने के लिए नियमावली के प्रावधान के अनुरूप प्रक्रिया विनियमावली द्वारा विहित कर सकेगी ।

23. **निरसन एवं व्यावृत्ति**।–

(1) इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि से "अधीक्षक उत्पाद तथा उपायुक्त (भर्ती) नियमावली, 1944 एवं निरीक्षक उत्पाद भर्त्ती नियमावली, 1936 " निरसित समझी जायेगी ।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी अधीक्षक उत्पाद तथा उपायुक्त (भर्ती) नियमावली, 1935 एवं निरीक्षक उत्पाद भर्त्ती नियमावली, 1944 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

24. इस नियमावली के लागू होने की तिथि के पूर्व से बिहार उत्पाद सेवा के विभिन्न पदों, जैसा कि नियम–2(VI) में परिभाषित है, पर नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः इस सेवा में शामिल एवं इस नियमावली के अधीन नियुक्त समझे जायेंगे।

25. बिहार उत्पाद सेवा (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2009 में प्राधिकृत समिति, विधि विभाग एवं मंत्रि परिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव।

अनुसूची–I

संवर्गीय पदों की संरचना, वेतनमान एवं संख्या।

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1.	निरीक्षक, उत्पाद (मूल कोटि)	5000—8000	81
2.	अधीक्षक उत्पाद/समकक्षीय पद	6500—10500	41
3.	सहायक आयुक्त, उत्पाद	8000—13500	5
4.	उपायुक्त, उत्पाद	12000—16500	5
5	संयुक्त आयुक्त, उत्पाद	14300—18300	1

राज्य सरकार पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार भविष्य में वृद्धि अथवा कमी कर सकती है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव।

---

29 मई 2009

सं०1/स्था0–23/2008–1985—बिहार उत्पाद सेवा (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2009 अधिसूचना संख्या 1984, दिनांक 29 मई 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधिन अंग्रेजी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव।

The 29th May 2009

No. 1/स्था0–23/2008–1984—In exercise of the powers conferred by proviso of Article 309 of the constitution of India, the Governor, Bihar makes the following rules for regulating the procedure and service conditions of recruitment in Bihar Excise services:-

CHAPTER-I:
PRELIMINARY

1. *Short title, Extent and Commencement:—*
   (*i*) These rules may be called 'Bihar Excise Service (Recruitment and service conditions) Rules, 2009.
   (*ii*) They shall be extended to the whole of Bihar.
   (*iii*) They shall come into force with immediate effect.
2. *Definitions:* - In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context.
   (*i*) "Service" means the Bihar Excise Service;
   (*ii*) " State Government" means the Government of Bihar.
   (*iii*) " Commission" means the Bihar Public Service Commission.
   (*iv*) " Governor" means the Governor of Bihar.

45

(*v*) "Member" or "Member of the Service" means a person appointed in Bihar Excise Service.

(*vi*) "Bihar Excise Service" means the different posts of Bihar Excise Service, viz:-
Excise Inspector,
Excise Superintendent/Equivalent post.
Assistant Commissioner, Excise.
Deputy Commissioner, Excise.
Joint Commissioner, Excise.
and other posts to be created in this service from time-to-time.

(*vii*) "Schedule" means the schedule enclosed with these rules.

(*viii*) "year" means the financial year i.e. the year beginning from 1st April and ending on 31st March next year.

(*ix*) "Vacancies during the year" means vacancies available in one year due to creation of new posts in Bihar Excise Service or superannuation or death or termination from service or dismissal or resignation of any member or such vacancies of previous years which could not be filled up;

AND

(*x*) "Department" means the Registration, Excise and Prohibition Department.

3. *Structure of Service:-*The said service shall be under the administrative control of Registration, Excise and Prohibition Department and the Principal secretary/secretary shall be its controlling officer. The state government shall determine the authorized strength of service from time-to-time and give sanction for creation of permanent/temporary posts of the said service in addition to the post already sanctioned from before, mentioned in schedule-I of these rules.

4. *Position of post:* - The members of Bihar Excise service shall be gazetted.

CHAPTER-II

RECRUITMENT

5. *Sources of Recruitment:-*The recruitment in the said service shall be made in the following manner:-

(*a*) By direct recruitment as per Chapter-III of these rules.

(*b*) By promotion from Excise sub-inspector as per chapter-IV of these rules.

6. *Reservation:-*While making appointment on the basis of direct recruitment, it shall be essential to follow the reservation/roster policy in accordance with the rule and procedure prescribed by the state Government, from time-to-time.

7. *Assessment of vacancies and communication to the commission:-*The state government shall determine the number of vacancies to be filled by direct recruitment and promotion on 1st April every year and send requisition of vacancies for direct recruitment as per category wise reservation to the commission by 30th of April.

CHAPTER-III

DIRECT RECRUITMENT

8. *Direct recruitment through joint competitive examination:-* On receipt of requisition of vacancies as per category wise reservation from the department, the commission shall issue advertisement and call applications from eligible candidates for direct recruitment on 50 percent basic grade posts belonging to Bihar Excise Service on the basis of joint competitive examination.

9. *Eligibility:-*For direct recruitment in service, the age, educational qualifications, reservation etc. of candidates shall be in accordance with prescribed rules and provisions laid down by the State Government as well as commission from time to time. The minimum educational qualification for eligibility shall be a graduate degree from any recognized university of India.

10. *Viva-voce/interview:-*On the basis of marks obtained in the written examination conducted by the commission, the selected candidates shall have to appear before the Board, constituted by the commission for viva-voce/interview. The commission shall determine the maximum marks for viva-voce/ interview.

11. *Medical examination:-* Every candidate selected for appointment shall have to appear before the medical board, constituted by the state government for medical examination. Such candidate who may satisfy the medical board about his desired physical fitness from the point of view of discharging official duties efficiently, shall be considered for appointment.

12. *Recommendation of candidates by the commission:-*On the basis of written examination as well as interview, the commission, after preparing merit list shall recommend names of as much number of candidates as vacancies have been reported. The panel shall remain valid for a period of one year from the date of its receipt in the Department. In case, a candidate does not join the post or eligible candidates are not selected, the remaining vacancies shall be carried over to next year.

CHAPTER – IV

Recruitment by Promotion

13. *Appointment by promotion:-* On the basis of recommendation of Departmental promotion committee constituted under the chairmanship of Chairman/Member of the commission, Sub-Inspector, Excise belonging to Registration, Excise & Prohibition department shall be appointed on 50% basic grade (Inspector, Excise) posts by promotion.

14. *Ratio of appointment on the basis of promotion from the post of Sub-Inspector, Excise and direct recruitment:* - The ratio of appointment on the basis of promotion and direct recruitment on the posts of basic grade of this service shall be 50:50.

15. *Eligibility of candidates:-*

(*i*) Satisfactory service during the prescribed period by the government on the post of Sub-Inspector, Excise.

(*ii*) Having passed the required departmental examination in accordance with the departmental examination rules of Excise Superintendents and Inspectors.

(*iii*) Character remarks to be satisfactory.

(*iv*) Seniority.

CHAPTER – V

16. *Probation period:-*

(*i*) Each officer appointed against any vacancy of basic grade, shall be placed on probation for a period of two years from the date of assuming charge. In case, his service is not found satisfactory during the probation period, the period of probation may be extended further for one year.

(*ii*) The Goverment at any time, during or at the end of the period of probation, may cancel appointment of any such officer or revert the services of any such officer who has been appointed on promotion from the post of Sub-Inspector, Excise to his basic post, if the said officer does not fulfill the conditions relating to appointment or his services is not

found satisfactory during probation period or not considered fit for confirmation in the said service due to some other reasons.

(*iii*) After probation period, annual increment shall be admissible only after passing the prescribed departmental examination.

17. *Confirmation:-*

(*i*) Officer appointed in the said service shall be confirmed on completion of probation period satisfactorily, if he has passed the departmental examination as per laid down criterion, obtained the prescribed training and the state Government considered him fit for confirmation.

(*ii*) Before confirmation, it shall be mandatory for all the officers to pass the written examination as well as interview, conducted by the Board of Revenue, as per provisions contained in departmental examination rules for Excise-Superintendents and Inspectors.

18. *Pay*:- The pay scale of different posts in Bihar Excise service shall be as mentioned below subject to any alteration and modification by the Government. The State Government may determine or replace any pay scale from time – to – time.

STRUCTURE, PAY-SCALE AND CALCULATION OF CADRE-POSTS

SL. No.	Designation	Pay-scale	Number of posts
1	2	3	4
1.	Inspector, Excise (Basic Grade)	5000-8000	81
2.	Superintendent, Excise/Equivalent Posts	6500-10500	41
3.	Assistant Commissioner, Excise	8000-13500	5
4.	Deputy Commissioner, Excise	12000-16500	5
5.	Joint Commissioner, Excise	14300-18300	1

19. *Training:-*

(*i*) Officers belonging to the said service shall have to undergo training on assigned subjects for a fixed period by the executive order of the government in which practical training is also included. In addition to it, it shall be mandatory to pass the examination of horse riding from police training centre and other examinations.

(*ii*) Evaluation done on completion of training shall be placed by the departmental promotion committee for consideration.

(*iii*) It is mandatory for officers belonging to this service to undergo training again, after getting promotion on higher post, for a period prescribed by the State Government.

CHAPTER–VI
PROMOTION

20. (*i*) On the basis of recommendation of departmental promotion committee, all posts other than basic grade of service, shall be filled up by promotion, on the basis of seniority cum merit in accordance with reservation rules. The basic post of service shall be Inspector, Excise. The chairman of departmental promotion committee, constituted for promotion in the highest pay-scale of service, shall be the Chairman/Member of the commission.

(*ii*) Such officers of basic grade shall be given promotion to the post of Inspector, Excise whose services are confirmed and service record is favorable.

(*iii*) It shall be mandatory to complete the minimum time period for promotion, prescribed by the State Government (Personnel and Administrative reforms department) from time- to- time.

(*iv*) The next post in hierarchy of service shall be Superintendent, Excise / equivalent post. The next higher post to it shall be Assistant Commissioner, Excise, Deputy Commissioner, Excise and Joint Commissioner, Excise respectively.

(*v*) It shall be mandatory to follow reservation policy / roster, enforced by the State Government.

(*vi*) The basis of promotion shall be seniority cum merit.

CHAPTER–VII
OTHER SERVICE CONDITIONS.

21. Other service conditions for the said service, e.g.- disciplinary action, leave, retirement benefit payable, Assured Career Progression scheme (A. C. P.) etc. Which are not covered under these rules or not notified separately for the said service, shall be regulated by Bihar Government Servant (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005, Bihar Service Code and other relevant rules, orders and circulars etc., issued by the state Government from time–to–time.

22. The State Government shall have the power to make amendment in the prescribed provisions of these rules as per requirement. In order to make the provisions of these rules effective, the Administrative Department shall prescribe procedures in accordance with the provisions of these rules through regulation.

23. *Repeals and savings*:-

(*i*) From the date of these rules coming into force "Superintendent, Excise and Deputy Commissioner (Recruitment) Rules, 1944 and Inspector, Excise Recruitment Rules, 1936" shall be deemed to be repealed.

(*ii*) Not with standing any such repeal, if any work or any action is done or taken in exercise of powers under Superintendent, Excise and Deputy Commissioner (Recruitment) Rules, 1935 and Inspector, Excise Recruitment Rules, 1944, the same shall be deemed to have been done or taken by these rules or in exercise of powers conferred by these rules as if these rules were prevalent on the said date on which such work or such action had been done or taken.

24. Prior to the date of these rules coming into force, persons appointed and working on different posts of Bihar Excise Service, as defined in Rule-2(VI), shall be deemed to be included in this service and appointed under these rules automatically.

25. Bihar Excise Service (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2009 is approved by Empowered committee, Law Department and Council of Ministers.

By order of the Governor of Bihar,
AMIR SUBHANI,
Secretary to Government.

SCHEDULE-I

STRUCTURE, PAY-SCALE AND CALCULATION OF CADRE-POSTS

SL. No.	Designation	Pay-scale	Number of posts
1	**2**	**3**	**4**
1.	Inspector, Excise (Basic Grade)	5000-8000	81
2.	Superintendent, Excise/Equivalent Posts	6500-10500	41
3.	Assistant Commissioner, Excise	8000-13500	5
4.	Deputy Commissioner, Excise	12000-16500	5
5.	Joint Commissioner, Excise	14300-18300	1

The state Government in future, may increase or decrease the number of posts as per requirement.

By order of the Governor of Bihar,
AMIR SUBHANI,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 12-571+500-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in